जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.10.2024

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** द्वारा मु0अ0सं0 203/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सों एक्ट व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संत कबीर नगर के मामले में वांछित अभियुक्त आनन्द कुमार प्रजापति पुत्र राम बहाल प्रजापति साकिन बघुआ डीहवा थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को कोपिया से बघुवा गांव के जाने वाले खडंजा तिराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 29.08.2024 को वादी द्वारा थाना बेलहरकला पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी के रिश्तेदार (साले) की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी। थाना बखिरा पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर आज दिनांक 17.10.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थाना प्रभारी बखिरा श्री श्याम मोहन, हे0का0 रजनीश पाठक, का0 आशू यादव ।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता सर्वजीत सिंह उर्फ सत्यजीत पुत्र झिनकान निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री दुर्गविजय सिंह, का0 उमेश कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 52 वाहनों से 62,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 52 वाहनों से 62,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सोलर पैनल का कटा हुआ केबल तार कुल लम्बाई 25-30 मीटर व एक अदद पिलास के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष महुली ***श्री हरेश तिवारी*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 373/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना महुली से सम्बन्धित अभियुक्त सिकन्दर पुत्र ज्ञानचन्द निवासी बिगहीं थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को सोलर पैनल का कटा हुआ केबल तार कुल लम्बाई 25-30 मीटर व एक अदद पिलास के साथ दिनांक 16.10.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी सुनील कुमार पुत्र स्व0 श्रीराम साकिन पुतसर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 16.10.2024 को थाना महुली पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 16.10.2024 की रात्रि में पुतसर स्थित जलजीवन मिशन पम्प (टंकी) से सोलर पैनल मे लगा हुआ केबल तार लगभग 25-30 मीटर छोटे छोटे टुकड़ों मे चोरी के नियत से काट लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया था। थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को दिनांक 16.10.2024 को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*–**

सिकन्दर पुत्र ज्ञानचन्द निवासी बिगहीं थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर।

***बरामदगी का विवरण*– सोलर पैनल का कटा हुआ केबल तार कुल लम्बाई 25-30 मीटर व एक अदद पिलास**।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री अमित कुमार, आरक्षी सन्नी यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 05 स्थानों पर लगवाये गये 17 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 17.10.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 05 स्थान पर 17 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 05 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 363/2024 धारा 306 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता संदीप चौरसिया पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद चौरसिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को ग्राम सेमरा से गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 03.05.2024 को वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषित करने जिससे वादी की पुत्री द्वारा दिनांक 27.04.2024 को जहर खाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना में वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 17.10.2024 मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजीव सिंह, हे0का0 राजेश कुमार तिवारी, का0 अनिल प्रसाद।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 17.10.2024 को न्यायालय ***अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) जनपद सन्तकबीरनगर***द्वारा ***थाना धनघटा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2021 धारा 363, 366, 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता जितेन्द्र पुत्र बेचू निवासी सरया तिवारी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को अन्तर्गत धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10,000 रु0 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा। अभियुक्त को धारा 363 भा0द0वि0 के तहत 04 वर्ष का सक्षम कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा। अभियुक्त को धारा 366 भा0द0वि0 के तहत 06 वर्ष का सक्षम कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा। धारा 31 सीआरपीसी द्वारा दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। सजायावी वारण्ट बनाकर अभि0 को सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा गया। धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा मे व्यतीत की गयी अवधि को उसकी सजा कि अवधि से मुजरा किया जायेगा।